

भारतीय संसद
राज्य सभा सचिवालय

संसदीय सौध
नई दिल्ली - 110001

आरएस/3/3/2016-स्था. (सा.)

दिनांक 5 नवम्बर, 2018

परिपत्र
(सं. 31/2018)

विषय : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों को अपनाये जाने के संबंध में।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापनों को इस सचिवालय में अपना लिया गया है और इन्हें राज्य सभा के सभी अधिकारियों/अनुभागों तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु अग्रेषित किया जाता है:-

क्र.सं.	संख्या/जारी किए जाने की तारीख	विषय
1	कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/8/2017-स्था.ए-IV दिनांक 18.10.2018	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के पश्चात् छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के प्रयोजनार्थ सरकारी कर्मचारियों की यात्रा हकदारियों के संबंध में
2	कार्यालय ज्ञापन सं. 4/3/2017-स्था.(वेतन-1) दिनांक 26.10.2018	वेतन वृद्धि - समेकित दिशानिर्देशों के संबंध में

ह/-
(टी. केनेडी जेसुदासन)
अवर सचिव
दूरभाष सं. 2303 4210

सेवा में,

- (i) वेतन एवं लेखा कार्यालय, राज्य सभा
- (ii) स्थापना (लेखा) और बजट अनुभाग, और
- (iii) सभी अधिकारी/अनुभाग/ अधिकारियों के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक (केवल इंटरनेट के माध्यम से) - सूचनार्थ।